विनियम क्रमांक - 27

विश्वविद्यालयीन वाहनों के रख रखाव एवं मरम्मत आदि से संबंधित नियमावली

विश्वविद्यालय में उपलब्ध वाहनों का उपयोग सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना न किया जाय। मांगपत्र प्रस्तुत करने पर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को वाहन उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

1. अधिकारियों को नामजद वाहन केवल कुलपति के लिये आबंटित होगा और उसका नियमानुसार किराया जमा करना होगा। वाहन का सत्यापन लाग बुक में कुलपति जी के सचिव/ निजी सहायक व्दारा किया जायेगा।

क- एक लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहरों के लिये रूपये 120.00 प्रतिमाह जमा करना होगा।

ख- प्रत्येक वाहन के लिये ड्ायवर व्दारा लागबुक का संधारण किया जायेगा । यात्रा के पूर्ण विवरण सहित वाहन उपयोगिता की जानकारी लेख की जाकर ड्ायवरों एवं अधिकारियों के व्दारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

विशेष परिस्थितियों में जब वाहन की स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी हाजिर नही है उस परिस्थिति में स्वीकृति प्रदान करने हेतु किसी अन्य अधिकारी को आकस्मिक अधिकारी के रूपमें स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जावेगा।

स्टाफ कार/पूल की समस्त वाहनों के पेट्ोल, डीजल के माहवारी मापदण्ड की सीमा नीचे दर्शाये अनुसार होगी।

1. पेट्र्ोल 170 लीटर प्रतिमाह

2. डीजल 132 लीटर प्रतिमाह

2. अन्य वाहनों का सत्यापन जिस विभाग के कार्य से किया जायेगा उस विभाग के अधिकारी व्दारा लागबुक में

सत्यापन किया जायेगा।

नोट-

स्थानीय उपयोग के अतिरिक्त कोई वाहन यदि परीक्षा आदि कार्यो से भेजी जाती है तो उसके लिये वह व्यय

अतिरिक्त मान्य होगा।

वाहनों के एवरेज का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा।

1.	लाइट वाहन	एवरेज प्रति लीटर
	1. मारूति अमिनी	12 कि0मी0
	2. प्रीमियर पद्मनी	12 कि0मी0
	3. टाटा मोबाइल्स 207	13 कि0मी0
	4. महेन्द्रा एपफ.सी.	6 कि0मी0
	5. जीप-कार ;डीजलद्ध	9 कि0मी0
	6. एम्बेस्डर अथवा अन्य कार ;पेट्र्ोलद्ध	8 कि0मी0

2. भारी वाहन

1. टाटा 807 6 कि0मी0

2. टाटा 608 6 कि0मी0

3. टाटा 407 8 कि0मी0

नोट :- इसी मापदण्ड के अनुसार एवरेज चेक किया जायेगा।

वाहन के टायर/ट्यूब की जीवनावधि का विवरण -

1. 18 हार्स पावर या उससे अधिक अश्वशक्ति वाले वाहनों के लिये नायलोन टायर्स की आयु सीमा

अ- ट्रक/बस साइज 9ण्00.20 ;7ग 50ग 16द्ध नायलान टायर्स	40ए000 कि0मी0
ब- 10 हार्स पावर से अधिक अश्वशक्ति वाले वाहन जैसे मेटाडोर/पिकअप/महेन्द्रा मिनी बस ;साइज 7.00.15द्ध नायलोन टायर	31ए000 कि0मी0
स- जीप ;साइज 6.00.16द्ध नायलान टायर	35ए000 कि0मी0
द- एम्बेस्डर कार ;साइज 5.90.15;एपफ 78.15द्ध नायलान टायर	35ए000 कि0मी0

नोटः- मोटर साइकल/स्कूटर के टायरों की आयु सीमा 25,000 कि0मी0

2. आपत्ति काल में सक्षम अधिकारी के अनुमति के बाद ही टायर, ट्यूब बदला जायेगा।

वाहनों की आयु सीमा -

1. हल्के वाहन - जीप	1.80,000 कि0मी0
एम्बेस्डर कार एवं अन्य	1,50,000 कि0मी0

2. भारी वाहन - टाटा मर्सरीज ड्रक/बस 2,50,000 कि0मी0

अन्य भारी वाहन 2,00,000 कि0मी0

नोटः- मोटर सायकल/स्कूटर 1,00,000 किलोमीटर से अधिक चलने पर अनुपयोगी घोषित की जा सकेगी।

नोटः- बैटरियों के बदलने की अवधि 18 माह होगी।

वाहनों की मरम्मत -

वाहनों की मरम्मत चालक व्दारा डिपफेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर सक्षम अधिकारी के आदेश के उपरान्त ही की जा सकेगी।

वाहनों के रख रखाव के संबंध में अन्य निर्देश -

1. प्रत्येक वाहन के मेन्टिनेंस के लिये सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जाकर उस दिन वाहन की जांच व मरम्मत कराया जाना चाहिये। वाहन के मरम्मत ;मेन्टिनेंसद्ध की जवाबदारी संबंधित चालक की होगी।

2. प्रत्येक गाड़ियों का आबंटन चालकों ;ड्रायवरोंद्ध के नाम किया जाना चाहिये।

3. प्रत्येक वाहन के लिये अलग अलग ड्रायवर लागबुक का संधारण किया जायेगा। लागबुक की पूर्ति करने का दायित्व चालकों का होगा।

4. प्रत्येक दिन के ड्यूटी का विवरण दूरी सहित ड्ायवर, डायरी में इन्द्राज किया जाकर यात्रा करने वाले अधिकारी एवं चालक के हस्ताक्षर डायरी में किया जायेगा।

5. चालकों के वाहन चलाने की क्षमता तथा शारीरिक योग्यता का प्रति वर्ष परीक्षण कराया जाना आवश्यक है।

6. मादक पदार्थ का सेवन करने वाले चालक को वाहन आबंटित नहीं की जायेगी।

7. वाहन में भरे जाने वाले ईधन मरम्मत के समय उतारे गये अनुपयोगी सामान तथा लगाये गये पार्ट्स का इन्द्राज मरम्मत पंजी के पेज नं. सहित किया जाय।

8. जले हुये निष्प्रयोजन एवं ;उतारे गये पार्ट्सद्ध सामान को नियमानुसार नीलामी किया जाकर राशि विश्वविद्यालय के आय शीर्ष में जमा कराई जाय।

9. नये एवं कम अनुभव वाले चालकों से भारी वाहन न चलवायी जाय।

10. कोई भी अधिकारी चाहे किसी भी स्तर का क्यों न हो उसके नाम एक से अधिक वाहन का आबंटन किसी भी

हाल में नहीं किया जाय।

11. यदि कोई वाहन सक्षम अधिकारी व्दारा चुनाव में कानून व्यवस्था या ड्यूटी के लिये अधिग्रहित किया जाता है

तो इस हेतु रूपये 300.00 प्रति दिन के दर से किराया वसूल किया जावेगा।

12. विश्वविद्यालयीलन वाहन का व्यक्तिगत उपयोग पर संबंधित से वसूली की जावेगी।

13. मरम्मत के लिये डिपफेक्ट रिपोर्ट ड्ायवर या वाहन शाखा प्रभारी की ओर पेश किया जाना चाहिये जिसमें

मेजर, माइनर तथा इमरजेंसी के अनुसार स्वीकृति दिया जाना चाहिये।

14. सामान्यतः जहां रेल की सुविधा है वाहन का उपयोग न किया जाय।

15. बदलाई गई सामग्री का अपलेखन ;अवलोकनद्ध विभाग के अधिकारी ;जो व्दितीय स्तर से कम न होद्ध की

समिति बनाकर अनुपयोगी घोषित करने की अनुशंसा की जावेगी एवं अपसेट प्राइज निर्धारित करने हेतु समिति की अपलेखन ;अवलोकनद्ध करने हेतु समक्ष होगी।

16. स्थानीय गैरिज / वर्कशाप के माध्यम से एक वर्ष के लिये मरम्मत हेतु निविदा आमंत्रित की जाय एवं इस

संबंध में एक अनुबंध किया जाय ओर उसकी शर्ते एवं नियमों का स्पष्ट किया जाय।

17. किराये से वाहन लिये जाने पर दैनिक माइलेज दर आदि के लिये निविदा आमंत्रित की जायेगी।